

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार, भा0प्र0से0  
अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
अरवल/वैशाली/गोपालगंज/रोहतास (सासाराम)।

पटना-15, दिनांक- 22/6/17

विषय:-

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्कीम बजट शीर्ष 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष-02- बाढ़ चकवात आदि, लघु शीर्ष -001 निदेशन एवं प्रशासन, मांग संख्या-39, उपशीर्ष -0101-बाढ़ प्रवण जिलों में व्यवस्था, विपत्र कोड-39-2245020010101 में ₹ 8,53,153 (आठ लाख तिरेपन हजार एक सौ तिरेपन रूपये) के आवंटन की स्वीकृति।

आदेश-स्वीकृत।

2 यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 115/आ0प्र0 दिनांक-25.05.2017 के आलोक में आवंटित की जा रही है।

3. इस राशि का व्यय वर्तमान वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट शीर्ष 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष-02- बाढ़ चकवात आदि, लघु शीर्ष -001 निदेशन एवं प्रशासन, मांग संख्या-39, उपशीर्ष -0101-बाढ़ प्रवण जिलों में व्यवस्था, विपत्र कोड-39-2245020010101, विस्तृत शीर्ष 21 -सामग्री और आपूर्ति, विषय शीर्ष -01 सामग्री एवं पूर्तियों मद् में मूल बजट उपबंध से उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

लघुशीर्ष-001-निदेशन एवं प्रशासन

उपशीर्ष-0101-बाढ़ प्रवण जिलों में व्यवस्था

मांग संख्या-39, विस्तृत शीर्ष 21 -सामग्री और आपूर्ति, विषय शीर्ष -01 सामग्री एवं पूर्तियों

क्र0	जिला का	वित्तीय वर्ष 17-18 का पूर्व आवंटन	वित्तीय वर्ष 17-18 का वर्तमान आवंटन	योग	अभ्युक्ति
1	अरवल	₹ 0.00 (शून्य)	₹ 2,55,453 (दो लाख पचपन हजार चार सौ तिरेपन रूपये)	₹ 2,55,453 (दो लाख पचपन हजार चार सौ तिरेपन रूपये)	नये नाव क्रय हेतु
2	वैशाली	₹ 0.00 (शून्य)	₹ 2,35,200 (दो लाख पैंतीस हजार दो सौ रूपये)	₹ 2,35,200 (दो लाख पैंतीस हजार दो सौ रूपये)	बक्सा क्रय हेतु
3	गोपालगंज	₹ 0.00 (शून्य)	₹ 2,97,500 (दो लाख सन्तानवे हजार पाँच सौ रूपये)	₹ 2,97,500 (दो लाख सन्तानवे हजार पाँच सौ रूपये)	महाजाल क्रय हेतु
4	रोहतास (सासाराम)	₹ 0.00 (शून्य)	₹ 65,000 (पैंसठ हजार रूपये)	₹ 65,000 (पैंसठ हजार रूपये)	महाजाल क्रय हेतु

योग	₹ 0.00 (शून्य )	₹ 8,53,153 (आठ लाख तिरेपन हजार एक सौ तिरैपन रूपये)	₹ 8,53,153 (आठ लाख तिरैपन हजार एक सौ तिरैपन रूपये)
-----	--------------------	--	--

4. यह आवंटन जिला पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक -131 दि०-02.06.17, जिला पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक -410 दि०-18.05.17, जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक -160 दि०-13.05.17 एवं जिला पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम ) के पत्रांक -168 दि०-22.05.17 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. आवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। आवंटित राशि की निकासी यथा संभव vouched विपत्र पर ही कोषागार से की जाय। किसी भी स्थिति में राशि की निकासी ए० सी० विपत्र पर न की जाय।

6. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष- लघु शीर्ष/ उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।


7. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561वि० (2), दिनांक-17.4.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

8. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-31.3.2018 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

9. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ", यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरंत पत्र के माध्यम से विभाग को सूचित किया जाय।

10. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
(अनिरुद्ध कुमार)  
अपर सचिव

ज्ञापांक-33...../आ०प्र०,

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट)/ योजना एवं विकास विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


पटना-15, दिनांक- 22/6/17

  
अपर सचिव

ज्ञापांक-33...../आ०प्र०,

प्रतिलिपि:- जिला कोषागार पदाधिकारी, अरवल, वैशाली, गोपालगंज, रोहतास (सासाराम) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


पटना-15, दिनांक- 22/6/17

  
अपर सचिव

ज्ञापांक-33...../आ०प्र०,

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी (योजना)/ कार्यवाह सहायक/ आई०टी० मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना-15, दिनांक- 22/6/17

  
अपर सचिव